कार्यालय : खण्ड शिक्षा अधिकारी, नगर क्षेत्र, प्रयागराज

पत्रांक / 1947 - 2148 /आर0टी0ई0 / 2022–23 दिनांक : 27.03.2023

प्रबन्धक / प्रधानाध्यापक

SHRI MAHAPRABHU PUBLIC SCHOOL

विषय– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा 1 / पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश कराये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत सम्बन्धित गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा 1 / पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश कराये जाने हेतु वर्ष 2023–24 हेतु ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर जांचोपरान्त प्रथम चरण की लॉटरी प्रक्रिया एवं जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदनोपरान्त तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रयागराज के निर्देश दिनांक 17.03.2023 के अनुक्रम में इन बच्चों का प्रवेश सम्बन्धित कक्षा में गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में होना है।

उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि संलग्न सूची के अनुसार दिये गये मो0नं0 से सम्पर्क कर अंकित बच्चों का प्रवेश (अभिभावक द्वारा विद्यालय को प्राप्त कराये जा रहे ऑनलाइन फार्म में अंकित कक्षा–1 / पूर्व प्राथमिक कक्षा में) अपने विद्यालय में करें। उक्त के अतिरिक्त आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि संलग्न प्रारूप पर हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में प्रवेशित छात्रों की प्रवेश क्रमांक सहित सूचना 07 अप्रैल, 2023 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्राप्त कराना सुनिश्चित करें तथा वित्तीय सहायता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु विद्यालय एवं प्रवेशित छात्र / छात्रा के अभिभावकों के बैंक पास–बुक की छायाप्रति (बैंक का नाम, शाखा, खाता संख्या एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड) भी उपलब्ध करायें। यदि पूर्व के वर्षों में अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों का प्रवेश आपके विद्यालय में हुआ है तो अगली कक्षा में कक्षोन्नति कर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करें तथा नवीन एवं पूर्व में अध्ययनरत छात्र / छात्राओं की सूचना संलग्न प्रारूप पर सम्पूर्ण विवरण के साथ अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे प्रवेशित / कक्षोन्नत बच्चों का विवरण तथा खातों का मिलान किया जा सके। किसी भी प्रकार की शिथिलता हेतु आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक– अनुमोदित सूची एवं (प्रारूप 1 एवं प्रारूप 2)।

(विनोद कुमार मिश्रा)
खण्ड शिक्ष अधिकारी /
आर0टी0ई025%नोडल,
नगर क्षेत्र, प्रयागराज।

पृ0सं0 / आर0टी0ई0 / /2022–23 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय, प्रयागराज।
2. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र को इस अनुरोध के साथ कि जिलाधिकारी, महोदय द्वारा अनुमोदित सूची सम्बन्धित विद्यालयों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा अर्ह बच्चों का प्रवेश प्री प्राइमरी / कक्षा 1 में कराते हुये तथा पूर्व में प्रवेशित बच्चों की कक्षोन्नति कराते हुये संलग्न प्रारूप पर हार्ड एवं साफ्ट कापी में सूचना 07 अप्रैल, 2023 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. सम्बन्धित अभिभावक।

खण्ड शिक्ष अधिकारी /
आर0टी0ई025%नोडल,
नगर क्षेत्र, प्रयागराज।